



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

वित्त समिति की 10 वीं बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2025 का

कार्यवृत्त

वित्त समिति की बैठक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के मीटिंग कक्ष में दिनांक 29.09.2025 को अपराह्न 03:00 बजे आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- | | |
|--|--------------|
| 1. प्रो० एन०बी० सिंह, कुलपति | — अध्यक्ष |
| 2. डॉ० राजेश प्रकाश | — सदस्य |
| क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ मण्डल। | |
| 3. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, अलीगढ़ मण्डल | — सदस्य |
| 4. श्री योगेश कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़। | — सदस्य |
| 5. श्री वी०के० सिंह, कुलसचिव | — सदस्य |
| 6. श्री धीरेन्द्र कुमार, परीक्षा नियन्त्रक | — सदस्य |
| 7. श्री सुदर्शन, वित्त अधिकारी | — सदस्य सचिव |

सर्वप्रथम वित्त अधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया एवं मा० कुलपति महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों द्वारा एजेन्डा के प्रत्येक बिन्दु पर सर्व सम्मति से गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यसूची एवं सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं :-

मद संख्या-10.1	वित्त समिति की 9 वीं बैठक दिनांक 20.06.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।
निर्णय	वित्त समिति की 9 वीं बैठक दिनांक 20.06.2025 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गयी।
मद संख्या-10.2	वित्त समिति की 9 वीं बैठक दिनांक 20.06.2025 की कृत कार्यवाही की आख्या।
निर्णय	वित्त समिति की 9वीं बैठक दिनांक 20.06.2025 की कृत कार्यवाही की आख्या से समिति संसूचित हुयी।
मद संख्या-10.3	शासन को प्रेषित किये जाने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बजट के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय	शासन को प्रेषित किये जाने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बजट के अनुमोदन पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।(संलग्नक:-1)
मद संख्या-10.4	विश्वविद्यालय कैम्पस की प्रवेश परीक्षाओं में संलग्न शिक्षकों को रू० 500/- प्रतिपाली एवं तृतीय श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को रू० 300/- प्रतिपाली एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू० 200/- प्रतिपाली परीक्षा पारिश्रमिक भुगतान किये जाने का संसूचन।
निर्णय	समिति संसूचित हुयी एवं कार्योत्तर अनुमोदन का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-10.5	विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में प्राविधानित समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों में प्रतिभाग करने वाले सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को दिये गये मानदेय की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

29/9/25



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

निर्णय	पूर्व में परीक्षाओं के सुचितापूर्ण सम्पादन कराये जाने तथा परीक्षाफल घोषित करने वाली बैठक में ₹0 9000/- भुगतान किया जा चुका है से समिति संसूचित हुयी एवं कार्योत्तर अनुमोदन का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-10.6	विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में प्राविधानित समितियों के अतिरिक्त प्रशासनिक एवं परीक्षा कार्यो से सम्बन्धित समितियों में प्रतिभाग करने वाले शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय के भुगतान पर विचार।
निर्णय	विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में प्राविधानित समितियों के अतिरिक्त प्रशासनिक एवं परीक्षा कार्यो से सम्बन्धित समितियों में जिनमें पूर्व से मानदेय निर्धारित नहीं है उन समितियों में प्रतिभाग करने वाले शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सुचितापूर्ण सम्पादन कराये जाने तथा परीक्षाफल घोषित किये जाने हेतु समय-समय पर आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त ₹0 1500/-मानदेय का भुगतान प्रदान किये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-10.7	दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के वी0आई0पी0 सूट में ठहरने, खानपान एवं वायुयान प्रथम श्रेणी तथा स्वागत हेतु होने वाले व्यय पर विचार।
निर्णय	दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के वी0आई0पी0 सूट में ठहरने, खानपान एवं वायुयान प्रथम श्रेणी तथा स्वागत हेतु होने वाले व्यय हेतु ₹0 2.00 लाख की सीमा तक के वास्तविक व्यय का भुगतान किये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-10.8	दीक्षान्त समारोह के दृष्टिगत मा0 कुलाधिपति जी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों के ठहरने एवं खानपान हेतु होने वाले व्यय पर विचार।
निर्णय	दीक्षान्त समारोह के दृष्टिगत मा0 कुलाधिपति जी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों के ठहरने एवं खानपान हेतु होटल में रुकवाने की एवं वास्तविक व्यय का भुगतान किये जाने की सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या-10.9	शीला गौतम सेन्टर फॉर लर्निंग के चारो ओर वाह्य विद्युत व्यवस्था, जेनसेट एवं PWD के आगणन अनुसार अवशेष कार्य कराये जाने की संस्तुति।
निर्णय	शीला गौतम सेन्टर फॉर लर्निंग के चारो ओर वाह्य विद्युत व्यवस्था, एक जेनसेट 500 के0वी0ए0 का क्रय किये जाने एवं PWD के आगणन के आधार पर ₹0 1.74 करोड़ का अवशेष कार्य यू0पी0आर0एन0एस0एस0 से कराये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या-10.10	विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के अनुरोध के क्रम में वर्तमान में प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर ₹0 500/- प्रति लेक्चर, अधिकतम ₹0 25,000/- एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ₹0 600/- प्रति लेक्चर, अधिकतम ₹0 30,000/- में वृद्धि किये जाने पर विचार।

29/9/25



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

निर्णय	अतिथि व्याख्याताओं द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्य के अरिक्त अन्य कार्य करने के दृष्टिगत रू0 500/- प्रति लेक्चर अधिकतम रू0 25,000/- को सम्यक् विचारोपरान्त रू0 600/- प्रति लेक्चर अधिकतम रू0 30,000/- किये जाने की सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या- 10.11	दीक्षान्त समरोह के दृष्टिगत आकस्मिक कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्त अधिकारी, कुलसचिव, उप कुलसचिव को अस्थायी अग्रिम की व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	दीक्षान्त समरोह के दृष्टिगत आकस्मिक कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्त अधिकारी, कुलसचिव, उप कुलसचिव (प्रत्येक अधिकारी) को रू0 25,000/- का अग्रिम प्रदान किये जाने की विचारोपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या- 10.12	दीक्षान्त समरोह के दृष्टिगत आकस्मिक निधि लगभग रू0 2.00 लाख की व्यवस्था किये जाने पर विचार।
निर्णय	दीक्षान्त समरोह के दृष्टिगत आकस्मिक निधि लगभग रू0 2.00 लाख की व्यवस्था किये जाने की सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या- 10.13	माह अक्टूबर 2025 में श्री अमृत कुमार, सहायक कुलसचिव, की सेवानिवृत्ति उपरान्त देयकों के नियमानुसार भुगतान किये जाने पर विचार।
निर्णय	माह अक्टूबर 2025 में श्री अमृत कुमार, सहायक कुलसचिव, की सेवानिवृत्ति उपरान्त देयकों के भुगतान किये जाने पर शासकीय नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या- 10.14	दीक्षान्त समारोह में आने वाले मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं कुलाधिपति महोदया आदि को अंगवस्त्र, मोमेण्टो, पुस्तक आदि दिये जाने वाले व्यय पर विचार।
निर्णय	दीक्षान्त समारोह में आने वाले मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं कुलाधिपति महोदया आदि को अंगवस्त्र, मोमेण्टो, पुस्तक आदि दिये जाने हेतु सर्व सम्मति से रू0 3.00 लाख की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या- 10.15	रम्पुटा के पत्र संख्या-86/आर0एम0पी0यू0टी0ए0/2025 दिनांक 22.09.2025 में वर्णात्मक प्रणाली के प्रश्नपत्र बनाने के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने पर विचार।
निर्णय	सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के निर्माण कार्य का पारिश्रमिक बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों से विवरण प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।
मद संख्या- 10.16	दीक्षान्त समारोह की व्यवस्था सुचारु रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु बिजली की अवाद्य सुविधा हेतु 02 जेनसेट 500 KVA के किराये पर लिये जाने पर विचार।
निर्णय	दीक्षान्त समारोह की व्यवस्था सुचारु रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु बिजली की अवाद्य सुविधा हेतु चार दिनों के लिये 500 KVA के 02 जेनसेट जेम पोर्टल से किराये पर लिये जाने हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

29/9/25

-8-



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

मद संख्या— 10.17	दीक्षान्त समारोह में होने वाले कुल व्यय पर विचार।
निर्णय	विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में होने वाले समस्त व्यय संलग्नकानुसार अनुमानित ₹ 40,00,000/- व्यय किये जाने हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या— 10.18	विश्वविद्यालय निधि से शैक्षणिक भवन-3 बनवाने हेतु अधिकतम लागत सीमा ₹ 25.00 करोड़ व्यय किये जाने पर विचार।
निर्णय	शैक्षणिक भवन-3 बनवाने हेतु विश्वविद्यालय निधि से ₹ 25.00 करोड़ की सीमा तक व्यय किये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या— 10.19	प्रयोगशाला उपकरण एवं फर्नीचर विश्वविद्यालय की निधि से क्रय किये जाने पर विचार।
निर्णय	प्रयोगशाला उपकरण एवं फर्नीचर बजट में प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 करोड़ तक विश्वविद्यालय निधि से जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या— 10.20	विश्वविद्यालय के पूर्व में क्रय किये गये तीनों वाहनों का बीमा कराये जाने पर विचार।
निर्णय	विश्वविद्यालय के पूर्व में क्रय किये गये तीनों वाहनों का बीमा कराये जाने हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या— 10.21	विश्वविद्यालय में जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (मै0 एक्स-सर्विस मैन-यंग सिक्योरिटी सर्विसेस, सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड), फर्म से कार्य लिये जाने एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने पर विचार।
निर्णय	विश्वविद्यालय में जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (मै0 एक्स-सर्विस मैन-यंग सिक्योरिटी सर्विसेस, सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड), फर्म के विस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी एवं जेम पोर्टल से नवीन निविदा की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2026 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या— 10.22	विश्वविद्यालय में जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म सिक्योरिटी गार्ड (क्राउन सिक्योरिटी सर्विस) फर्म से कार्य लिये जाने एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने पर विचार।
निर्णय	जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म सिक्योरिटी गार्ड, क्राउन सिक्योरिटी सर्विस के कार्यकाल विस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी एवं जेम पोर्टल से नवीन निविदा की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2026 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या— 10.23	विश्वविद्यालय में जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म किराया वाहन (देव ट्रेवल्स) फर्म से कार्य लिये जाने एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने पर विचार।
निर्णय	जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म किराया वाहन, देव ट्रेवल्स के कार्यकाल विस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी एवं जेम पोर्टल से नवीन निविदा की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2026 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

29/9/25



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

मद संख्या— 10.24	विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन एवं छात्रावास में सी0सी0टी0वी0 एवं नेटवर्किंग का कार्य विश्वविद्यालय की निधि से कराये जाने हेतु विचार।
निर्णय	विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन एवं छात्रावास में सी0सी0टी0वी0 एवं नेटवर्किंग का कार्य विश्वविद्यालय की निधि से बजट में प्राविधानित राशि के अनुसार कराये जाने का विचारोपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या— 10.25	भवन समिति की बैठक दिनांक 27.09.2025 के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय	भवन समिति की बैठक दिनांक 27.09.2025 के कार्यवृत्त का सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या— 10.26	अन्य मद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
मद संख्या— 10.26 (1)	विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में कार्य हेतु एक सेवानिवृत्त लेखाकार को योजित किये जाने पर विचार।
निर्णय	लेखा विभाग में कार्य हेतु एक सेवानिवृत्त लेखाकार को सेवा प्रदाता के माध्यम से रू0 25,000/—(फिक्स वेतन) पर अग्रिम आदेशों तक, नियमित कर्मचारी की नियुक्ति होने तक अथवा ऑन डेप्यूटेशन पर कर्मचारी के आने पर जो भी पहले हो सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद संख्या— 10.26 (2)	शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्री0 एवं पोस्ट परीक्षा कार्य तथा स्कैनिंग करते हुये डिजिटल मूल्यांकन हेतु गठित समिति की आख्या पर विचार।
निर्णय	शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्री0 एवं पोस्ट परीक्षा कार्य तथा स्कैनिंग करते हुये डिजिटल मूल्यांकन हेतु गठित समिति की आख्या से समिति संसूचित हुयी एवं सर्व सम्मति से सरकारी कार्यदायी संस्था यूपीएलसी एवं यूपीडेस्को से कार्य कराये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या— 10.26 (3)	शिक्षक कल्याण कोष की अवस्थापना के सम्बन्ध में।
निर्णय	समिति शिक्षक कल्याण कोष की व्यवस्था हेतु गठित समिति की आख्या से अवगत हुयी तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से समन्वय करते हुये प्रचलित व्यवस्था एवं अध्यादेश प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

29/9/25
(सुदर्शन)
वित्त अधिकारी

29/9
(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति